

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website: www.vdavns.com

वाराणसी विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित दिनांक 30.09.2025 को वाराणसी शहर में प्रकाशित न्यूज पेपर, अमर उजाला, आज, ज्ञानशिखा टाइम्स, जनवार्ता, न्यायाधीश, समाचार पत्र कटिंग का विवरण।

अमर उजाला—दि 30.09.2025

अशोक नगर, महादेव नगर के काम में तेजी लाएं

वाराणसी। वीडिए सचिव डॉ. वेद प्रकाश मिश्रा ने सोमवार को अशोक नगर और महादेव नगर क्षेत्रों का निरीक्षण किया। धीमी गति से चल रहे काम की प्रगति पर नाराजगी जताई। सड़क निर्माण, नाली निर्माण, जल निकासी व्यवस्था, पार्कों के विकास, सार्वजनिक सुविधाओं से संबंधित कार्यों को देखा। पाया कि कार्य की गति अपेक्षाकृत धीमी है। कुछ स्थानों पर गुणवत्ता मानकों का पालन संतोषजनक नहीं है। ठेकेदारों, अभियंताओं की गति में सुधार लाने को कहा। ब्यूरो

अमर उजाला—दि 30.09.2025

वीडीए ने मारुति नगर में अवैध निर्माण किया सील

वाराणसी। वीडिए की ओर से सोमवार को नगवां वार्ड के मारुति नगर कॉलोनी में अवैध निर्माण सील किया। साई बाबा मंदिर के पास एचएफएल में जगत रत्ना देवी की ओर से 150 वर्ग फीट के क्षेत्रफल में भूतल का निर्माण कार्य किया गया था। मौके पर कोई मानचित्र स्वीकृति नहीं दिखाने पर पूर्व में नोटिस दिया गया था। बावजूद निर्माण किया जा रहा था। अवैध निर्माण सील कर पुलिस अभिरक्षा में सौंप दिया गया। जोनल अधिकारी संजीव कुमार की अगुवाई में कार्रवाई की गई। ब्यूरो

अमर उजाला—दि 30.09.2025

व्हाट्सअप पर शिकायत के बाद अवैध निर्माण सील

वाराणसी। व्हाट्सअप पर शिकायत के बाद वीडिए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के निर्देश पर अवैध निर्माण सील किया गया। नगवां वार्ड के बजरंग नगर के पास डाफी के वरुण पाठक, पीएस वर्मा ने रेनबो हॉस्पिटल के नाम से बिना मानचित्र स्वीकृत कराए निर्माण कराया। 6000 वर्ग फीट के भूखंड के क्षेत्रफल में 4 तलों का निर्माण कार्य किया गया। मौके पर कोई स्वीकृति नहीं दिखाने पर अनधिकृत निर्माण पर नोटिस दिया। ब्यूरो

अमर उजाला—दि 30.09.2025

ग्रुप हाउसिंग परियोजना का किया निरीक्षण

वाराणसी। वीडिए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने सोमवार को धनेसरी पर निर्मित ग्रुप हाउसिंग परियोजना के पूर्णता प्रमाणपत्र के लिए निरीक्षण किया। बेसमेंट, स्टिल्ट, 14 तलों पर 140 फ्लैट्स का निर्माण किया गया है। वीडिए क्षेत्र की परियोजना में सुविधाओं के साथ निर्माण के लिए सतत क्रियाशील है। लागत 30 करोड़ है। ब्यूरो





वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website: www.vdavns.com

आज-दि 30.09.2025

विकास कार्यमें विलम्बपर नपेंगी कार्यदायी एजेंसी

विप्रा सचिव डॉक्टर वेदप्रकाश मिश्रने अशोक नगर एवं महादेव नगरमें चल रहे विकास कार्यकी धीमी गतिपर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि निर्धारित समयसे मानकके अनुरूप काम न करनेवाले ठेकेदारोंके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई होगी। जिन ठेकेदारोंने नियमका उल्लंघन किया है उनसे अनुबंधन समाप्त किया जायेगा। दोनों जगहोंपर सचिवके निरीक्षणके दौरान सड़क निर्माण, नाली निर्माण, जलनिकासी व्यवस्था और पार्कोंके विकास सम्बन्धित कार्य धीमे चलनेपर कार्यदायी एजेंसीसे नाराजगी जतायी। उन्होंने अधीक्षण अभियन्ताको निर्देश दिया कि कार्यकी नियमित निगरानी किया जाय और निर्धारित समयपर गुणवत्तायुक्त इसे पूरा किया जाय। किसी प्रकारकी लापरवाही होनेपर कार्यदायी एजेंसीके विरुद्ध कार्रवाई होगी।

आज-दि 30.09.2025

विप्रा ७५ पार्कोंकी करेगा कायापलट

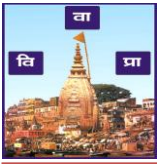
विकास प्राधिकरण ७५ पार्कोंको उच्चीकरण करायेगा। संबंधित विषयमें सचिव डॉक्टर वेद प्रकाश मिश्रने बताया कि निर्माणाधीन २१ पार्कोंके अवशेष कार्य जिसमें ओपेन जिम, लाइटिंग, आर्टिकल्चर, पाथवे और झूला सहित अन्य कार्यको प्राथमिकताके तौरपर कराया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य वातावरणमें आवश्यक सुधार, स्वास्थ्य वर्धक गतिविधियां और मनोरंजनकी सुविधाएं उपलब्ध कराना है। भविष्यमें पार्कोंके रखरखावके विषयमें निर्णय किया जायेगा। बैठकमें अधीक्षण अभियन्ता अजय पवार, अधिशासी अभियन्ता अरविन्द कुमार शर्मा अवर अभियन्ता संजय गुप्त और कार्यदायी एजेंसीके लोग मौजूद थे।

अमर उजाला-दि 30.09.2025

75 पार्कों के बच कार्य जल्द होंगे पूरे

वाराणसी। वीडिए के सचिव डॉ. वेद प्रकाश मिश्रा की अध्यक्षता में सोमवार को वीडिए सभागार में बैठक हुई। इसमें शहर के 75 पार्कों के सुंदरीकरण, जनसुविधाओं को और बेहतर बनाने के लिए किए जा रहे प्रयासों पर विस्तार से चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि पार्कों के उच्चीकरण से बेहतर वातावरण, स्वास्थ्यवर्धक, गतिविधियों एवं मनोरंजन की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। ब्यूरो





वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website: www.vdavns.com

ज्ञानशिखा टाइम्स-दि0 30.09.2025

वाराणसी विकास प्राधिकरण के सचिव ने की समीक्षा बैठक

वाराणसी। विकास प्राधिकरण के सचिव डॉ. वेद प्रकाश मिश्रा की अध्यक्षता में प्राधिकरण सभागार में 75 पार्कों के उच्चीकरण कार्य के संबंध में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में पार्कों के सौंदर्यीकरण एवं जनसुविधाओं को और बेहतर बनाने हेतु किए जा रहे प्रयासों पर विस्तार से चर्चा की गई। निर्माणाधीन 21 पार्कों के अवशेष कार्यों जैसे-ओपन जिम, लाइटिंग, हॉर्टिकल्चर, पाथवे, झूला एवं अन्य संबंधित कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने हेतु कार्यदायी संस्था को स्पष्ट निर्देश दिए गए। सचिव ने यह भी कहा कि पार्कों के उच्चीकरण से

वातावरण, स्वास्थ्यवर्धक गतिविधियों एवं मनोरंजन की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। उन्होंने कार्यदायी संस्थाओं को समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित करने पर बल दिया। बैठक के दौरान अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत प्रगति रिपोर्ट पर भी चर्चा की गई तथा भविष्य में पार्कों के रखरखाव एवं सतत निगरानी के लिए कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए गए। बैठक में अधीक्षण अभियंता अजय पंवार, अधिशासी अभियंता अरविन्द कुमार शर्मा, अवर अभियंता संजय गुप्ता, संजय तिवारी तथा संबंधित कार्यदायी संस्थाओं के

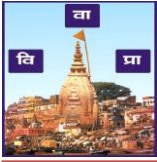
जनवार्ता-दि0 30.09.2025

30 करोड़ की ग्रुप हाउसिंग परियोजना को मिला पूर्णता प्रमाण पत्र



वाराणसी (जनवार्ता)। वाराणसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने आराजी सं. 21, 22 एवं 24, मौजा-धनेसरी स्थित ग्रुप हाउसिंग परियोजना का सोमवार को स्थलीय निरीक्षण किया। जिसमें लगभग 30 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित इस परियोजना में बेसमेंट + स्टिल्ट + 14 मंजिलों पर कुल 140 फ्लैट्स बनाए गए हैं। पार्किंग की सुविधा के लिए 156 कार पार्किंग का प्रावधान किया गया है। परियोजना में सामुदायिक भवन, एसटीपी, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सॉलर वेस्ट मैनेजमेंट की व्यवस्था की गई है और भवन की छत पर नियमानुसार सोलर पावर सिस्टम स्थापित है। वही ग्रीन एरिया के संरक्षण और भूगर्भ जल के दोहन व रिचार्ज की माप के लिए पिजोमीटर लगाया गया है। इस दौरान उपाध्यक्ष ने परियोजना की सभी सुविधाओं को संतोषजनक पाते हुए पूर्णता प्रमाण पत्र निर्गत किए जाने का अनुमोदन प्रदान किया। विकास प्राधिकरण का प्रयास है कि क्षेत्र की सभी परियोजनाओं में इसी प्रकार आधुनिक सुविधाओं के साथ गुणवत्तापूर्ण निर्माण सुनिश्चित हो।





वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website: www.vdavns.com

जनवार्ता-दि० 30.09.2025

पार्कों के सौंदर्यीकरण व जनसुविधाओं पर वीडिए की समीक्षा



वाराणसी (जनवार्ता)। वाराणसी विकास प्राधिकरण के सचिव डॉ. वेद प्रकाश मिश्रा की अध्यक्षता में 75 पार्कों के उच्चीकरण कार्य को लेकर सोमवार को समीक्षा बैठक आयोजित हुई। जिसमें पार्कों के सौंदर्यीकरण और जनसुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए चल रहे प्रयासों पर चर्चा की गई। इसमें सचिव ने निर्माणार्थीन 21 पार्कों में ओपन जिम, लाइटिंग, हॉर्टिकल्चर, पाथवे व झूला जैसे अवशेष कार्य शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पार्कों का उच्चीकरण शहरवासियों को स्वच्छ वातावरण, स्वास्थ्यवर्धक गतिविधियों और मनोरंजन की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराएगा और कार्यदायी संस्थाओं को समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित करने पर बल दिया। इस बैठक में अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा की गई और भविष्य में पार्कों के रखरखाव व सतत निगरानी के लिए कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए गए। इस अवसर पर अधीक्षण अभियंता अजय पंवार, अधिशासी अभियंता अरविन्द कुमार शर्मा, अवर अभियंता संजय गुप्ता, संजय तिवारी सहित कार्यदायी संस्थाओं के प्रतिनिधि शामिल रहे।

जनवार्ता-दि० 30.09.2025

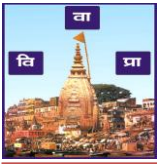
वीडिए की बड़ी कार्रवाई में अवैध हॉस्पिटल निर्माण सील



वाराणसी (जनवार्ता)। वाराणसी विकास प्राधिकरण ने जोन 4 में अवैध निर्माण के विरुद्ध सोमवार को बड़ी कार्रवाई की। जिसमें उपाध्यक्ष के निर्देश पर बजरंग नगर, डाफी क्षेत्र में वरुण पाठक व पी.एस. वर्मा द्वारा रैनबो हास्पिटल के नाम से लगभग 6000 वर्गफीट भूखंड पर बिना मानचित्र स्वीकृत कराए बी+जी+4 तलों का निर्माण किया जा रहा था। मौके पर किसी प्रकार की स्वीकृति न मिलने पर

प्राधिकरण ने उ.प्र. नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा-27 (प्रथम) के तहत नोटिस जारी कर भवन को सील कर पुलिस अभिरक्षा में सौंप दिया। जबकि उपाध्यक्ष ने लोगों से अपील की है कि बिना मानचित्र स्वीकृति के निर्माण कार्य न करें, अन्यथा सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान जोनल अधिकारी संजीव कुमार, अवर अभियंता आदर्श कुमार निराला, प्रवर्तन दल व सुपरवाइजर शामिल रहे।





वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पत्रा लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website: www.vdavns.com

न्यायाधीश-दि० 30.09.2025

जोन.04 में अवैध निर्माण के विरुद्ध सील की कार्यवाही सम्पादित की गयी



वाराणसी। वाड. नगवाँ बजरंग नगर के पास डाफी क्षेत्रान्तर्गत वरूण पाठक व पी०एस० वर्मा द्वारा 'रैनबो हास्पिटल के नाम से बिना मानचित्र स्वीकृत कराये लगभग 6000 वर्गफीट के भूखण्ड क्षेत्रफल में बी.जी.4 तलों का निर्माण कार्य

किया गया है। मौके पर कोई स्वीकृति नहीं दिखाये जाने पर अनधिकृत निर्माण के विरुद्ध 30प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धारा.27 ; पट्टा के अन्तर्गत आज दिनांक.29.09.2025 को नोटिस

की कार्यवाही करते हुए दिनांक 29.09.2025 को स्थल सील कर पुलिस अभिरक्षा में सौंप दिया गया है। मौके पर जोनल अधिकारी संजीव कुमार अवर अभियंता आदर्श कुमार निराला तथा प्रवर्तन दल सहित समस्त सुपरवाइजर उपस्थित रहे। उपाध्यक्ष द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।

न्यायाधीश-दि० 30.09.2025

वाविप्रा ने अवैध निर्माण स्थल को सील कर पुलिस अभिरक्षा में सौंपा



वाराणसी। उपाध्यक्ष वाविप्रा द्वारा प्रदत्त निर्देश के क्रम में जोन-04 में अवैध निर्माण के विरुद्ध सील की कार्यवाही सम्पादित की गयी। वाड-नगवाँ, मारुति नगर कॉलोनी, साई बाबा मंदिर के पास, एच०एफ०एल० क्षेत्रान्तर्गत जग तरना देवी पतने राम आधार पाण्डेय द्वारा लगभग 150 वर्गफीट के क्षेत्रफल में भूतल का निर्माण कार्य किया गया था। मौके पर कोई मानचित्र

स्वीकृति नहीं दिखाये जाने पर 30प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की सुसंगत धारा-27 के अन्तर्गत पूर्व में नोटिस की कार्यवाही की गयी थी। उक्त नोटिस के बावजूद निर्माणकर्ता द्वारा चोरी-छिपे रात्रिकाल में निर्माण कार्य किया जा रहा था, जिसे बन्द कराते हुए आज दिनांक 29.09.2025 को स्थल को सील कर पुलिस अभिरक्षा में सौंप दिया गया। मौके पर जोनल अधिकारी संजीव कुमार अवर अभियंता आदर्श निराला तथा प्रवर्तन टीम सहित समस्त सुपरवाइजर उपस्थित रहे। उपाध्यक्ष द्वारा आम जनमानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें, अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।

